आवेदकगण द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता। प्रकरण आज व्यवहार वाद क्रमांक 83-ए/15 सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य विरूद्ध हनुमन्त सिंह एवं अन्य का अभिलेख प्राप्ति हेत् नियत है।

व्यवहार वाद क्रमांक 83-ए/15 सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य विरूद्ध हनुमन्त सिंह एवं अन्य का मूल अभिलेख प्राप्त।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् आवेदक के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पर तर्क हेतु पेश हो।

।।।, सी.जे.–।। गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण अभी आवेदक के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि व्यवहार वाद क्रमांक 83-ए/15 में आवेदकगण/वादीगण की साक्ष्य के लिए दिनांक : 19/12/2016 नियत थी। आवेदकगण की बुआ कैलाशी केंसर से पीड़ित है, अचानक उसकी बुआ की तबीयत खराब हो गई। दिनांक : 17 / 12 / 2016 को वह बुआ को देखने चला गया और दिनांक : 19/12/2016 को वापस नहीं आ सका और अभिभाषक को सूचना नहीं दे सका। इस कारण उसकी एवं उसकी साक्षीगण की अनुपस्थिति के कारण उसका वाद उसकी अनुपस्थिति में दिनांक 19/12/16 को निरस्त कर दिया गया। जब वह बुआ के घर से वापस आया और अभिभाषक के पास प्रकरण की जानकारी लेने गया, तो उसके अभिभाषक ने बताया कि तुम्हारा प्रकरण निरस्त हो गया है। इस वावत् अभिभाषक द्वारा इसके पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। तत्पश्चात उसने दिनांक : 04/01/2017 को निरस्त आदेश की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया, उसकी नकल दिनांक : 07/01/2017 को प्राप्त हुई। आवेदकगण अनुपस्थिति मजबूरीवश हुई थी, जो कि क्षमा योग्य है। इस प्रकार विहित परिसीमा काल के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण की अनुपस्थिति को क्षमाकर उसका आवेदन स्वीकार कर उसके व्यवहार वाद क्रमांक 83-ए/2015 को पुनः सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाये।

आवेदन पर आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क सुने गये।

व्यवहार वाद क्रमांक 83—ए / 2015 के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद में उनको साक्ष्य प्रस्तुति हेतु दिनांक : 19/12/2016 नियत की गई थी। परन्तु वादीगण या उसकी ओर से कोई साक्षी या उनका अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये थे। इसलिए दिनांक : 19/12/2016 को आवेदकगण/वादीगण का वाद साक्ष्य प्रस्तुति के अभाव एवं वादीगण की अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 17 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय ने हरप्रसाद एवं अन्य विरूद्ध मनीराम एवं अन्य 2016 (01), एम.पी.एल.जे.414 के वाद में यह अभिधारित किया है कि वादी को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित रहने में असफल रहने के कारण आदेश 17 नियम 03 के अधीन न्यायालय द्वारा वाद निरस्त कर दिये जाने की दशा में वादी को केवल अपील प्रस्तृत करने का उपचार उपलब्ध होता है। उसका आदेश 09 नियम 09 के अधीन वाद को पुनः स्थापित करने का आवेदन प्रचलनीय नहीं होता है। यद्यपि आवेदक द्वारा हस्तगत आवेदन आदेश ०९ नियम ०४ सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है कि परन्तु सारवान रूप से वह आदेश 09 नियम 09 के अन्तर्गत वाद पूर्नस्थापना के लिए प्रस्तुत आवेदन है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टांत में अभिधारित विधि के आलोक में अप्रचलनीय है। फलतः आवेदकगण का आवेदन निरस्त किया जाता है ।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में प्रविष्ट कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समय अवधि में

अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

।।।, सी.जे.।।, गोहद